**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2928**

**(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए)**

## डिजिटल मीडिया मंचों का विनियमन

**2928. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 तथा प्रसारण संबंधी नीतियों के अंतर्गत डिजिटल मीडिया मंचों के विनियमन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या डिजिटल समाचार प्रकाशकों तथा ओटीटी मंचों के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उल्लंघनों के कितने मामले दर्ज किए गए तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई संशोधन अथवा सुधार सरकार के विचाराधीन है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री**

**(डॉ. एल. मुरूगन)**

**(क) से (ङ):** सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैटी) द्वारा प्रशासित आईटी नियमों के भाग-II में, अन्य दायित्वों के साथ-साथ, मध्यस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्लेटफॉर्मों पर होस्ट अथवा प्रकाशित की गई सामग्री के संबंध में यथोचित सावधानी का पालन करें।

इन नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। आईटी नियमों के अंतर्गत

आचार संहिता के अनुपालन के लिए निम्नानुसार तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान हैः

(क) स्तर-I - प्रकाशक
(ख) स्तर-II - प्रकाशकों का स्व-विनियामक निकाय, तथा
(ग) स्तर-III - केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र।

स्तर-I तथा स्तर-II पर स्व-विनियमन के प्रावधान डिजिटल समाचार प्रकाशकों तथा ओटीटी प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की भावना के अनुरूप हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत गैर-कानूनी सामग्री को हटाने अथवा उस तक पहुंच निष्क्रिय करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है।

सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों तथा ओटीटी प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने तथा आईटी अधिनियम की धारा 67 एवं 67क, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 294 तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के कारण पिछले दो वर्षों में भारत में सार्वजनिक पहुंच के लिए 50 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को निष्क्रिय किया है।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी समाचारों की जांच के लिए एक फैक्ट चैक युनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के उपरांत, एफसीयू विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सही सूचना पोस्ट करती है।

********